भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4095

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिले

4095. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय पर्यवेक्षक दल ने विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित जिलों का दौरा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या इसमें अहमदनगर जिले को भी शामिल किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय पर्यवेक्षक दल द्वारा उक्त स्थानों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर अहमदनगर जिले के लिए केन्द्रीय निधि की कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) उपलब्ध होता है। गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर इसे मंजूरी दी जाती है जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आई.एम.सी.टी.) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल है। आई.एम.सी.टी., आपदा की स्थिति का आकलन करने और एन.डी.आर.एफ. से वित्तीय सहायता की आवश्यकता के लिए राज्य का दौरा करती है। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट और उस पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एस.सी.-एन.ई.सी.) की उप-समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उच्च-स्तरीय समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता को मंजूरी देती है।

महाराष्ट्र राज्य ने खरीफ, 2023 के दौरान सूखा घोषित किया था और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 2690.32 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ज्ञापन के अनुसार, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव और बुलढाणा सूखा प्रभावित जिले थे। ज्ञापन के उत्तर में, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आई.एम.सी.टी.) का गठन किया गया जिसने दिनांक 12 से 15 दिसंबर, 2023 के दौरान, राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने महाराष्ट्र के नासिक, नंदुरबार, जलगांव, पुणे, सोलापुर, धाराशिव, बीड, छत्रपति संभाजीनगर और जालना जिलों का दौरा किया था।

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, उच्च-स्तरीय समिति ने पाया कि राहत पर होने वाले व्यय का पहला प्रभार हमेशा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष पर होता है। चूंकि, महाराष्ट्र सरकार के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष खाते में 2261.24 करोड़ रुपये (दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार) का पर्याप्त फंड था इसलिए समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की।

*****